

कार्यालय अधिष्ठाता
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)-490024

क्रमांक/CCMGMC/455869/ GENS/46414/2026

दुर्ग, दिनांक 25-08-2026

//रुचि की अभिव्यक्ति //

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दूर, दुर्ग में स्थापित कम्प्यूटर, फोटोकॉपी मशीन तथा प्रिंटर की मरम्मत कार्य हेतु “जहां है जैसा है” की शर्त पर निर्धारित प्रारूप में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	संख्या	दर प्रति नग	जीएसटी	प्रति नग कुल राशि रु.
1.	Kyocera Taskalfa 2321 Photocopy Machine	1			
2.	Konika Bizhub 205i Casyon Photocopy Machine	1			
3.	Canon Image Runner 2420 L Photocopy Machine	1			
4.	Canon Printer LBP2900B	1			
5.	Brother DCP Multipurpose Printer	1			
6.	Brother Printer DCP-B7535 DW	1			
7.	HP LaserJet Printer M233dw	1			
8.	Computer	1			

नियम एवं शर्तें:-

1. प्राक्कलन के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक मान्य रहेगी।
2. प्राक्कलन के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।
3. मरम्मत कार्य हेतु संस्थान में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करना होगा। “जहां है जैसा है” की शर्त पर रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।
4. मरम्मत की दर उपकरण की वर्तमान स्थिति को देखकर ही उल्लेखित करें, साथ ही मरम्मत कार्य में लगने वाले प्रत्येक पार्ट्स की दर भी पृथक् से उल्लेखित करें जो 01 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
5. उपकरण की संख्या अनुमानित है जिसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
6. आपातकालीन परिस्थिति में दूरभाष पर सूचित किये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना होगा।
7. किसी भी प्राक्कलन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं रहेगा।
8. उक्त मरम्मत/दुरुस्ती कार्य हेतु निर्माता/अधिकृत/अनुभवी फर्म अथवा सर्विस प्रोवाइडर उक्त रुचि की अभिव्यक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं।
9. आवेदित/चयनित फर्म के राज्य शासन या उसके किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा फर्म काली सूची (Black List) में होने की जानकारी की दशा में ऐसे फर्म का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
10. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिपोर्ट, संबंधित स्थल/शाखा के प्रभारी से सत्यापित कराकर

प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11. संबंधित स्थल/शाखा प्रभारी से मरम्मत/दुरुस्ती कार्य के सत्यापन उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जावेगा।

12. समस्त कार्य की प्रक्रिया छ.ग. भण्डार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भण्डार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/भावपत्र मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय संध्या 5.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा। विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं किये जावेंगे।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/CCMGMC/455869/ GENS/46414/2026 दुर्ग, दिनांक 25-08-2026

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दूर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, रखरखाव शाखा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दूर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दूर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दूर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

Sd/-
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
कचान्दूर दुर्ग (छ.ग.)